''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 2002—आश्विन 8, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक

छत्तीसगढ़ लोक आयोग विधेयक 2002

(क्रमांक 27 सन् 2002)

विषय-सूची

ण्ड :

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 27 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ लोक आयोग विधेयक, 2002

कतिपय लोक सेवकों के विरुद्ध कदाचरण या शिकायतों की विनिर्दिष्ट जानकारियों की जांच करने के लिए कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों के लिए उपबंध बनाने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "कार्रवाई" से अभिप्रेत है किसी विनिश्चय, सिफारिश या निष्कर्षों या किसी अन्य रीति द्वारा की गई प्रशासनिक कार्रवाई को सम्मिलित करते हुए कार्रवाई और जिसमें सम्मिलित है किसी कार्य को करने में ज़ानबूझकर असफल रहना या चूक करना तथा ऐसी कार्रवाई से संबंधित अभिव्यक्तियां जिनका तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा.

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है,—

(एक) मुख्यमंत्री से भिन्न किसी मंत्री की दशा में छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री,

(दो) मुख्यमंत्री या राज्य विधान-मंडल के सदस्य के मामले में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,

(तीन) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी के मामले में मुख्यमंत्री,

(चार) अखिल भारतीय सेवाओं के किसी सदस्य से भिन्न किसी शासकीय सेवक के मामले में ऐसे शासकीय सेवक का नियुक्ति प्राधिकारी,

(पांच) किसी अन्य लोक सेवक के मामले में, ऐसा प्राधिकारी जैसा कि सरकार द्वारा विहित किया जाए.

(ग) "भ्रष्टाचार" में सम्मिलित है भारतीय दंड संहिता (1860 का क्र. 45) में अध्याय-9 के अधीन या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का क्र. 49) के अधीन दण्डनीय कोई कार्य.

(घ) "शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो और जिसे अखिल भारतीय सेवा नियमों के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित किया गया हो या ऐसा व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य की सिविल सेवा का सदस्य हो या जो सिविल पद धारण करता हो या छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवा कर रहा है और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसकी सेवाएं भारत शासन, अन्य राज्य सरकार के या स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यक्ति चाहे वह निगमित हो या नहीं हो को, अस्थाई रूप से दी गई हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो छत्तीसगढ़ में स्थानीय या अन्य प्राधिकारी की सेवा में हो.

(ङ) '''स्थानीय प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) के अधीन ग्राम, जनपद या जिला स्तर पर गठित पंचायत, छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम या छत्तीसगढ़ म्युनिसपल्टीज एक्ट, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) के अधीन गठित कोई नगर पंचायत या नगरपालिका और छत्तीसगढ़ विधान सभा के अधिनियम के अधीन चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, गठित कोई अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकारी.

(च) ''लोक आयोग'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित आयोग.

(छ) ''मंत्री'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य के लिये मंत्रि-परिषद् का कोई सदस्य चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो अर्थात् मुख्यमंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव या मंत्री, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री की प्रास्थिति के समतुल्य कोई पद.

(ज) किसी लोक सेवक द्वारा ''अवचार'' से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है, ऐसे लोक सेवक ने :—

(एक) ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्वयं के या अन्य व्यक्ति के अभिलाभ या पक्ष में या किसी अन्य व्यक्ति को असम्यक् क्षति या कठिनाई कारित की हो,

(दो) ऐसे लोक सेवक के रूप में उसके कृत्यों के निर्वहन में व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य से कार्य किया हो,

(तीन) ऐसे लोक सेवक के रूप में भ्रष्टाचार, असम्यक् पक्षपात, भाई-भतीजावाद में लिप्त रहा हो या ईमानदारी की कमी रही हो,

(चार) आय के उसके ज्ञात साधनों से अधिक धन संबंधी साधन या अनुपातहीन संपत्ति धारित की हो और ऐसे धन संबंधी साधन या संपत्ति लोक सेवक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित की गई हो.

(झ) ''लोक सेवक'' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है ऐसा व्यक्ति जो :—

(एक) मुख्यमंत्री है,

(दो) मंत्री है,

(तीन) छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा का सदस्य है,

(चार) शासकीय सेवक है,

(पांच) राज्य विधान-मण्डल की विधि द्वारा या उसके अधीन राज्य में स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी निकाय या निगम, जिसमें कोई सहकारी समिति सम्मिलित है या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का क्र. 1) की धारा 617 के अर्थ के अंतर्गत कोई सरकारी कम्पनी और ऐसे अन्य निगम या बोर्ड जिन्हें सरकार ऐसे निगमों या बोर्डों में उसके वित्तीय हितों का ध्यान रखते हुए समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, का चेयरपरसन तथा वाइस-चेयरपरसन (जो किसी भी नाम से जाना जाता हो) या इसका सदस्य हो,

(छः) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित किसी समिति या बोर्ड या प्राधिकरण या निगम चाहे कानूनी या अकानूनी हो, का सदस्य हो.

(सात) निम्नलिखित में से किसी निकाय में या अन्यथा सेवारत हो या वेतन प्राप्त कर रहा हो :—

(कक) राज्य का किसी स्थानीय प्राधिकारी,

(खख) राज्य या केन्द्र के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई कानूनी निकाय या कोई निगम (स्थानीय प्राधिकरण न हो) जो छत्तीसगढ़ सरकार के स्वामित्व की हो या नियंत्रण में हो और कोई अन्य बोर्ड या निगम जिसे सरकार, उसके वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अधिसूचित करे,

(गग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का क्र. 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत समादत्त पूंजी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा धारित हो या कोई कम्पनी जो ऐसी कम्पनी की समनुषंगी हो,

(घघ) राज्य विधान-मण्डल के किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली सोसाइटी और जो छत्तीसगढ़ शासन के नियंत्रण के अध्यधीन हो,

(ङङ) कोई सहकारी सोसाइटी,

(चच) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) के अधीन संरचित या संरचित समझा गया विश्वविद्यालय..

(ण) "लोक आयोग का सचिव" से अभिप्रेत है नियुक्त किया गया व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो लोक आयोग की ओर से अन्य व्यक्तियों या निकायों से संवाद या पत्र व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में इस प्रकार पदाभिहित किया गया हो.

लोक आयोग का गठन.

3. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करने के प्रयोजन के लिए एक लोक आयोग होगा.

(2) लोक आयोग एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जिसमें एक सदस्य प्रमुख लोकायुक्त होगा तथा यदि एक से अधिक सदस्य हों तो अन्य सदस्य लोकायुक्त होंगे.

(3) प्रमुख लोकायुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या जिसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से उच्चतर न्यायिक पद धारित किया हो.

(4) लोकायुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जिसे प्रशासकीय तथा अर्द्ध न्यायिक स्वरूप के मामलों का अनुभव हो तथा जिसने भारत सरकार के सचिव के स्तर पर या किसी राज्य सरकार के मुख्य सचिव के स्तर पर कार्य किया हो,

परन्तु प्रमुख लोकायुक्त द्वारा, और प्रमुख लोकायुक्त का पद रिक्त होने की दशा में वरिष्ठतम लोकायुक्त द्वारा, लोक आयोग के कार्यकलापों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखा जायेगा.

(5) राज्यपाल स्वयं के हस्ताक्षर एवं मुद्रा के अधीन वारंट द्वारा मुख्यमंत्री, जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करेगा, की सलाह पर प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा.

(6) प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपना पद धारण करने के पूर्व, राज्यपाल के या राज्यपाल द्वारा उस संबंध में नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के समक्ष उस प्रारुप में जो कि प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिया गया हो, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा.

(7) प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त न्यास या लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा या वह किसी राजनैतिक दल से संबंधित नहीं होगा या किसी सोसाइटी में कोई कारोबार या वृत्ति या व्यवसाय नहीं करेगा, किसी सोसाइटी, जिसमें सहकारी सोसाइटी भी सम्मिलित है, न्यास या स्थानीय प्राधिकरण में कोई पद धारण नहीं करेगा या किसी राज्य विधान सभा या संसद की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा.

सदस्यों की पदावधि तथा अन्य सेवा शर्तें.

4. (1) लोक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उसके पद धारण करने की तारीख से 5 वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेगा तथा उसके पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा,

परन्तु :—

(क) वह राज्यपाल को संबोधित स्वलिखित तथा हस्ताक्षरित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, तथा ऐसा त्यागपत्र पेश करते ही प्रभावी हो जायेगा.

(ख) वह इस अधिनियम की धारा 5 में विनिर्दिष्ट रीति से पद से हटाया जा सकेगा.

(2) लोक आयोग की कोई भी कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि प्रमुख लोकायुक्त या किसी लोकायुक्त का पद रिक्त है.

(3) प्रमुख लोकायुक्त के पद पर हुई रिक्ति को यथाशीघ्र रिक्त होने के दिनांक से छ: मास से अनधिक अवधि में भरा जायेगा.

(4) प्रमुख लोकायुक्त और लोकायुक्त, पद पर न रहने पर छत्तीसगढ़ शासन के अधीन या छत्तीसगढ़ राज्य में किसी सहकारी सोसाइटी, सरकारी कम्पनी या निगम या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन और नियोजन के लिये पात्र नहीं होगा.

(5) प्रमुख लोकायुक्त और लोकायुक्त को ऐसा वेतन संदत्त किया जायेगा जैसा कि द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(6) प्रमुख लोकायुक्त और लोकायुक्त को देय पेंशन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाएं,

परन्तु :—

(क) प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त को देय भत्ते और पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें विहित करते समय, यथास्थिति, प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा धारित अंतिम पद पर देय भत्ते और पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों पर ध्यान दिया जायेगा,

(ख) प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त को देय भत्ते तथा पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों में इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी फेरफार नहीं किया जायेगा.

प्रमुख लोकायुक्त और लोकायुक्त का हटाया जाना.

5. (1) प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त को अपने पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि साबित कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन के छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा उसी सत्र में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर राज्यपाल ने आदेश पारित न कर दिया हो.

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी समावेदन के प्रस्तुत किए जाने की और प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण तथा साबित किये जाने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 (1968 का सं. 51) में किसी न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में उपबंधित की गई हो और तद्नुसार इस अधिनियम के उपबंध आवश्यक उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त को हटाए जाने के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी न्यायाधीश के हटाये जाने के संबंध में लागू होते हैं.

लोक आयोग द्वारा जांच किये जाने वाले मामले.

6. मुख्यमंत्री, मंत्री या किसी अन्य लोक सेवक के अवचार की, आयोग इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन उसमें अन्तर्विष्ट मामले की जांच कर सकेगा.

वे मामले जो जांच के अध्यधीन नहीं होंगे.

7. (1) इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के सिवाय, लोक आयोग, किसी कार्रवाई के संबंध में शिकायत के मामले में इस अधिनियम के अधीन कोई जांच संचालित नहीं करेगा यदि ऐसी कार्रवाई तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित हो.

(2) लोक आयोग ऐसी कार्रवाई की जांच नहीं करेगा :—

(क) जिसके संबंध में पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वारीज) एक्ट, 1950 (1950 का सं. 37) के अधीन औपचारिक तथा लोक जांच आदेशित कर दी गई हो; या

(ख) किसी ऐसे मामले के संबंध में जो जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 60) के अधीन जांच के लिये निर्दिष्ट कर दिया गया हो.

(3) लोक आयोग किसी ऐसी शिकायत की जांच नहीं करेगा :—

(क) यदि वह उस तारीख से जिससे शिकायतकर्त्ता को शिकायत संबंधी जानकारी हुई हो, बारह मास समाप्त होने के पश्चात् की गई हो,

(ख) यदि वह उस तारीख से, जिससे वह घटना घटित हुई है जिसके संबंध में शिकायत की गई थी, पांच वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् की गई हो,

परन्तु लोक आयोग खण्ड (क) में निर्दिष्ट शिकायत को स्वीकार कर सकेगा यदि शिकायतकर्त्ता यह समाधान कर देता है कि उसके पास उक्त खण्ड में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर शिकायत न करने का पर्याप्त कारण था.

(4) इस अधिनियम की कोई भी बात विवेकाधीन प्रयोग के अंतर्निहित किसी प्रशासकीय कार्रवाई को प्रश्नगत करने के लिए लोक आयोग को सशक्त नहीं करेगी सिवाए जहां उसका यह समाधान जो जाये कि विवेकाधिकार के प्रयोग में अंतर्निहित आवश्यक तत्व इस सीमा तक नहीं है कि विवेकाधिकार को समुचित रूप से प्रयोग किया गया नहीं समझा जा सकता है.

शिकायतों से संबंधित उपबंध.

8. (1) अवचार से संबंधित प्रत्येक शिकायत, ऐसे प्रारुप में, जो कि विहित किया जाये, की जायेगी तथा उसके साथ दो सौ पचास रुपये का निक्षेप होगा, तथा परिवादी लोक आयोग के समक्ष या लोक आयोग द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी अन्य अधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारुप में जो कि विहित किया जाये, एक शपथ-पत्र भी देगा.

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो जानबूझकर या विद्वेषत: इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या शिकायत करेगा, दोषसिद्धि पर, कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा तथा न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि जुर्माने की रकम में से ऐसी राशि, जैसी कि वह उचित समझे, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ऐसी शिकायत की गई थी, प्रतिकार के तौर पर दी जाएं,

परन्तु कोई भी न्यायालय इस उपधारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उस शिकायत पर के सिवाय नहीं करेगा जो कि यथास्थिति लोक आयोग के प्राधिकार द्वारा की गई हो,

परन्तु यह और भी कि लोक आयोग के सचिव के हस्ताक्षर से तथा मुद्रा लगाकर की गई शिकायत लोक आयोग के प्राधिकार के रूप में पर्याप्त होगी तथा लोक आयोग के सदस्यों की साक्ष्य इस प्रयोजन के लिये आवश्यक नहीं होगी.

जांच के संबंध में प्रक्रिया.

9. लोक आयोग अपने समक्ष लाये जाने वाले प्रकरणों की जांच के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण करेगा तथा ऐसा करते समय वह सुनिश्चित करेगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन न हो.

साक्ष्य.

10. (1) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन जांच के प्रयोजन के लिये, (जिसमें प्रारंभिक जांच यदि कोई हो, भी सम्मिलित है) ऐसी जांच के पूर्व लोक आयोग किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से जो उसकी राय में जांच से सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में समर्थ है, कोई ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा.

(2) किसी ऐसी जांच, जिसमें जांच के पूर्व की कोई प्रारंभिक जांच, यदि कोई हो, सम्मिलित है के प्रयोजन के लिए लोक आयोग के पास वे समस्त शक्तियां निम्नलिखित मामलों के संबंध में रहेगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का सं. 5) के अधीन वाद की सुनवाई के दौरान एक सिविल न्यायालय में निहित रहती है :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना.

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा पेश किये जाने के लिये अपेक्षा करना.

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना.

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना.

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना.

(च) ऐसे अन्य विषय जो कि विहित किये जायें.

(3) लोक आयोग के समक्ष की कोई भी कार्रवाई भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के अंतर्गत एक न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी.

(4) कोई भी लोक सेवक, उपधारा (5) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के संबंध में लोक आयोग के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने या साक्ष्य देने के संबंध में विशेषाधिकार का पात्र नहीं होगा.

(5) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के आधार पर कोई ऐसी जानकारी प्रदान करने, किसी प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने से अपेक्षित या प्राधिकृत नहीं किया जायेगा :—

(क) जिससे राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या

(ख) जिसमें राज्य सरकार की मंत्रि-परिषद् की कार्यवाही का प्रकटन अंतर्वलित हो :

स्पष्टीकरण :—राज्य शासन के सचिव द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिये यह प्रमाणित करते हुये जारी किया गया प्रमाण-पत्र बाध्यकारी और निश्चायक होगा कि कोई जानकारी, उत्तर या दस्तावेज का कोई भाग खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है.

(6) उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए कोई साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये जिसके लिए कि उसे किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में देने या प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता हो, विवश नहीं किया जायेगा.

लोक आयोग की रिपोर्ट.

11. (1) यदि किसी कार्रवाई, जिसके कि संबंध में कोई शिकायत प्राप्त की गई हो, अन्वेषण के पश्चात् लोक आयोग की यह राय है कि शिकायत स्थापित होती है तो वह लिखित में एक रिपोर्ट द्वारा सुसंगत दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों के साथ उसके निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा.

स्पष्टीकरण :—किसी शिकायत, जिसमें उस शिकायत पर निर्णय, रिपोर्ट, निष्कर्ष और परिणाम भी सम्मिलित है, के संबंध में लोक आयोग की राय से अभिप्रेत है इसके सदस्यों की बहुसंख्या का मत.

(2) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण करेगा और उस रिपोर्ट के आधार पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर, लोक आयोग को देगा.

(3) यदि लोक आयोग का उसकी सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई से समाधान हो जाये, तो वह संबंधित परिवादी, लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी को सूचना देते हुए मामले को बंद कर देगा. किसी अन्य मामले में यदि वह यह समझे कि मामला इस योग्य है तो, राज्यपाल को उस मामले के संबंध में विशेष रिपोर्ट कर सकेगा तथा संबंधित परिवादी को भी इत्तिला दे सकेगा.

(4) लोक आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के संबंध में एक समेकित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रतिवर्ष पेश करेगा.

(5) यदि उपधारा (3) के अधीन किसी विशेष रिपोर्ट या उपधारा (4) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट में किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है तो ऐसी रिपोर्ट में उस प्रतिवाद का, जो कि ऐसे लोक सेवक ने पेश किया था, सार तथा उस पर यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से या राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा या उसकी ओर से या संबंधित लोक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से की गई टिप्पणी भी अंतर्विष्ट होगी.

(6) उपधारा (3) के अधीन विशेष रिपोर्ट या उपधारा (4) अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्यपाल उस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगा.

(7) इस अधिनियम की धारा 9 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए लोक आयोग, बंद किये गये या अन्यथा निपटाये गये उन मामलों का जो कि उसे सामान्य लोकहित के या विधा संबंधी या वृत्तिक हित के प्रतीत हो, सार ऐसी रीति में तथा ऐसे व्यक्तियों को, जो कि उसे समुचित प्रतीत हों स्वविवेकानुसार समय-समय पर उपलब्ध करा सकेगा.

मुख्यमंत्री के संबंध में रिपोर्ट.

12. (1) मुख्यमंत्री के विरुद्ध किसी शिकायत के संबंध में लोक आयोग उसकी रिपोर्ट अपनी अनुशंसाओं के साथ राज्यपाल को भेजेगा जो उस पर ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी कि वह उचित या समीचीन समझे.

(2) लोक आयोग की रिपोर्ट उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा पारित किये गये आदेश के साथ राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी.

लोक आयोग के कर्मचारीवृन्द.

13. (1) लोक आयोग का एक सचिव होगा जो लोक आयोग को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करेगा.

(2) लोक आयोग के सचिव के अधीन ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी होंगे जैसा कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में उल्लेखित हो.

(3) प्रमुख लोकायुक्त की ऐसी प्रशासनिक शक्तियां होंगी, जो लोक आयोग के अधीन नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक हो, तथा प्रमुख लोकायुक्त से परामर्श करने के पश्चात् विहित की जायें.

(4) लोक आयोग के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के, जिन्हें उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि प्रमुख लोक आयुक्त के परामर्श से विहित की जाएं.

(5) लोक आयोग, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन जांच करने के लिए निम्नलिखित की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा :—

(क) राज्य सरकार द्वारा लोक आयोग के लिए नियुक्त की गई अन्वेषण एजेंसी, या

(ख) राज्य या केन्द्र सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण एजेंसी, उस सरकार की सहमति से, या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति या एजेन्सी.

जानकारी का गुप्त रखा जाना.

14. (1) लोक आयोग, उसके कर्मचारीवृन्द, किसी व्यक्ति या एजेंसी जिनकी सेवाओं का किसी शिकायत की जांच के संबंध में उपयोग किया गया हो, को जांच के अनुक्रम में प्राप्त जानकारी और ऐसी जानकारी के संबंध में अवलिखित या संग्रहित किसी साक्ष्य को गोपनीय माना जायेगा.

(2) उपधारा (1) में कोई भी बात :—

(क) जांच के प्रयोजनों के लिये या उसके बारे में दी जाने वाली किसी रिपोर्ट में या ऐसी रिपोर्ट के बारे में की जाने वाली किसी कार्यवाही या की जाने वाली किन्हीं कार्यवाहियों के लिये, या

(ख) ऑफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 (1923 का सं. 19) के अधीन किसी अपराध या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के किसी अपराध के लिये किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिये या इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिये, या

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो कि विहित किये जायें,

किसी जानकारी या प्रकटन को लागू नहीं होगी.

(3) कोई अधिकारी या अन्य प्राधिकारी, जो इस संबंध में विहित किया जाये, लोक आयोग को लिखित सूचना, सूचना में विनिर्दिष्ट की गई किसी दस्तावेज या जानकारी के संबंध में, या इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई दस्तावेजों के किसी वर्ग के संबंध में, इस प्रभाव की दे सकेगा कि राज्य सरकार की राय में उन दस्तावेजों या जानकारी का उस वर्ग की दस्तावेजों या जानकारी का प्रकटन लोक हित के विरुद्ध होगा और जहां ऐसी सूचना दी गई हो, वहां इस अधिनियम में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह प्रमुख लोक आयुक्त, लोक आयुक्त या उसके कर्मचारीवृन्द के किसी सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित करती है कि वह किसी भी व्यक्ति को सूचना में विनिर्दिष्ट की गई किसी दस्तावेज या जानकारी की या इस प्रकार विनिर्दिष्ट किये गये वर्ग की किसी दस्तावेज या जानकारी की सूचना दें.

संरक्षण.

15. लोक आयोग, प्रमुख लोक आयुक्त, लोक आयुक्त के विरुद्ध या धारा 13 में निर्दिष्ट किये गये किसी अधिकारी, कर्मचारी, अधिकरण या व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में जो, इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका इस प्रकार किया जाना आशयित रहा हो कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

लोक आयोग सुझाव देगा.

16. यदि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य के निर्वहन में लोक आयोग के ध्यान में कोई ऐसी पद्धति या प्रक्रिया आये जो कि उसकी राय में भ्रष्टाचार या कुप्रशासन के लिये अवसर प्रदान करती है तो वह उसे सरकार के ध्यान में ला सकेगा तथा उक्त पद्धति या प्रक्रिया में ऐसा सुधार करने का जिसे कि वह उचित समझे सुझाव दे सकेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

17. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी.

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

शंकाओं का निराकरण.

18. शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह लोक आयोग को :—

(क) न्यायिक सेवा के किसी ऐसे सदस्य, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है,

(ख) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य,

(ग) छत्तीसगढ़ के मुख्य चुनाव अधिकारी,

(घ) छत्तीसगढ़ विधान सभा के विधान सभा सचिवालय के सदस्य,

(ङ) राज्यपाल के सचिवालय के स्टाफ का सदस्य,

के विरुद्ध जांच के लिए प्राधिकृत करती है.

व्यावृत्ति.

19. इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य अधिनियमिति या विधि के किसी ऐसे नियम के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे जिसके अधीन किसी कार्यवाई के संबंध में इस अधिनियम के अधीन, शिकायत करने वाले किसी व्यक्ति को अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के रूप में या किसी अन्य रीति में उपचार उपलब्ध है, और इस अधिनियम में की कोई बात ऐसे उपचार का लाभ उठाने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार को सीमित या प्रभावित नहीं करेगी.

अधिनियम क्रमांक 37 सन् 1981 का निरसन तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व निराकृत की गई शिकायतों को ग्रहण करने का प्रतिषेध.

20. (1) छत्तीसगढ़ लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (1981 का क्रमांक 37) (अनुकूलीकरण अधिसूचना क्र. एफ-8-1/2001/1/6 दिनांक 8 अक्टूबर 2001) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

परन्तु छत्तीसगढ़ लोक आयोग अध्यादेश, 2002 के अधीन किये गये सभी कृत्य इस अधिनियम के अधीन किये गये माने जावेंगे.

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम (1981 के क्रमांक 37) के अधीन लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के समक्ष लंबित समस्त ऐसी शिकायतें जो छत्तीसगढ़ राज्य के क्रियाकलापों से संबंधित हैं, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, लोक आयोग को अंतरित हो जायेंगी तथा तदुपरि लोक आयोग द्वारा इस प्रकार निपटाई जायेंगी मानो कि वे उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन ग्रहण की गई थी.

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम (1981 के क्रमांक 37) के अधीन लोकायुक्त या उप लोकायुक्त द्वारा निपटाई कोई भी शिकायत लोक आयोग द्वारा ग्रहण नहीं की जायेगी :

परन्तु लोक आयोग, यदि वह न्याय की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक समझता है तो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम (1981 के क्रमांक 37) के अधीन, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व 2 वर्षों की कालावधि में अंतिम रूप से निपटाई गई किसी ऐसी शिकायत जो छत्तीसगढ़ राज्य के क्रियाकलापों से संबंधित है, की जांच कर सकेगा.

प्रथम अनुसूची

[कृपया धारा 3 (6) देखिए]

मैं .... जिसे प्रमुख लोकायुक्त/लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं/सत्य-निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की निष्ठा तथा राजनिष्ठा रखूंगा, और मैं सम्यक् रूप से तथा निष्ठापूर्वक तथा अपनी सर्वोत्तम योग्यता, जानकारी तथा विवेकबुद्धि के अनुसार अपने पद के कर्त्तव्यों का, भय या पक्षपात, अनुराग या वैमनस्य के बिना पालन करूंगा.

द्वितीय अनुसूची

[कृपया धारा 4 (5) देखिए]

1. प्रमुख लोकायुक्त को, नियुक्ति के पश्चात् वास्तविक सेवा में व्यतीत किए गए समय के संबंध में, वेतन तथा ऐसी परिलब्धियां तथा भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो :—

(एक) भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को देय हैं, यदि प्रमुख लोकायुक्त को उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है, जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारित किया हो,

(दो) किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को देय है, यदि प्रमुख लोकायुक्त को उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है जिन्होंने किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का पद धारित किया हो,

(तीन) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय है, यदि प्रमुख लोकायुक्त को उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है जिन्होंने किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारित किया हो.

परन्तु प्रमुख लोकायुक्त की सेवा के लिए उनके देय वेतन में से—

(क) उनके पूर्व किसी सेवा के लिये प्राप्त पेंशन (निर्योग्यता पेंशन से भिन्न) की राशि तक, और

(ख) यदि उसने प्रमुख लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति के पूर्व उसकी पूर्व सेवा के संबंध में उसे देय पेंशन के बदले में उसके संराशिकृत मूल्य का कोई भाग प्राप्त किया है, तो पेंशन के उस भाग की उतनी रकम, और

(ग) यदि उसने, ऐसी नियुक्ति के पूर्व ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई निवृत्ति उपादान प्राप्त किया है, उस उपादान के समतुल्य पेंशन, घटा दी जायेगी.

2. लोकायुक्त को, नियुक्ति के पश्चात् वास्तविक सेवा में व्यतीत किए गए समय के संबंध में, वेतन तथा ऐसी परिलब्धियां तथा भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जो :—

(एक) भारत सरकार के सचिव को देय है यदि लोकायुक्त को भारत सरकार के सचिव में से नियुक्त किया जाता है,

(दो) किसी ऐसे व्यक्ति को देय है, जिसने भारत में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा पद धारित किया है जिसका वेतनमान भारत सरकार के सचिव से कम नहीं है यदि लोकायुक्त को ऐसे पद धारित करने वाले ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है :

परन्तु यदि लोकायुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, (निर्योग्यता पेंशन से भिन्न) तो लोकायुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से :

(क) उस पेंशन की उतनी रकम,

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में उसे देय पेंशन के बदले में उसके संराशिकृत मूल्य का कोई भाग प्राप्त किया है, तो पेंशन के उस भाग की उतनी रकम, और

(ग) यदि उसने, ऐसी नियुक्ति के पूर्व ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई निवृत्ति उपादान प्राप्त किया है, उस उपादान के समतुल्य पेंशन, घटा दी जायेगी.

तृतीय अनुसूची

[कृपया धारा 7 (1) देखिए]

(क) प्रत्यर्पण अधिनियम (1962 का सं. 34) या वैदेशी अधिनियम 1946 (1946 का सं. 31) के अधीन की गई कार्रवाई,

(ख) अपराध का अन्वेषण या राज्य की सुरक्षा का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिये की गई कार्यवाई जिसमें पारपत्र और यात्रा दस्तावेजों के संबंध में की गई कार्रवाई सम्मिलित है,

(ग) संविदात्मक बाध्यताओं में भ्रष्टाचार, प्रताड़ना तथा अत्यधिक विलंब से संबंधित शिकायतों को छोड़कर किसी संविदा के निर्बधनों से उद्भूत होने वाले ऐसे मामलों में की गई कार्रवाही जो ग्राहकों या प्रदायकर्त्ताओं से, प्रशासन के विशुद्ध व्यवसायिक संबंधों के लिए की गई हो,

(घ) यह अवधारित करने के संबंध में कि कोई मामला न्यायालय में जाएगा या नहीं, अधिकार के प्रयोग करने में की गई कार्रवाई,

(ङ) लोक सेवकों के हटाये जाने, वेतन अनुशासन, सेवानिवृत्ति या अन्य सेवा शर्तों के संबंध में की गई कार्रवाई लेकिन इसमें पेंशन, उपादान, भविष्य निधि के लिए दावों या किसी दावे से संबंधित कार्रवाई सम्मिलित नहीं है जो सेवानिवृत्ति, हटाये जाने या सेवा समाप्ति पर उद्भूत होते हैं,

(च) ऐसी कार्रवाही जो इस अधिनियम की धारा 18 में उल्लेखित की नियुक्ति में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के संबंध में हैं,

(छ) सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान करना.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और पवित्रता के उच्चतम मापदण्ड बनाये रखने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च पदों पर आसीन लोक सेवकों, यथा मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, शासकीय अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध कदाचरण या शिकायत की विशिष्ट सूचना की जांच करने के लिए अन्य सामान्य प्रक्रियाओं के अतिरिक्त एक उच्चाधिकार प्राप्त संगठन की आवश्यकता अनुभव की गई है. अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य में म. प्र. लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 (वर्ष 1981 का अधिनियम क्रमांक 37) के अंतर्गत लोकायुक्त संगठन विद्यमान रहा है, इस अधिनियम का छत्तीसगढ़ राज्य में, शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-2001/1/6 दिनांक 8 अक्टूबर, 2001 द्वारा अनुकूलन किया गया था. इस प्रकार यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य में लागू तो हो गया किन्तु इसके अंतर्गत लोकायुक्त संगठन म. प्र. में ही विद्यमान रहा जिसकी अधिकारिता छत्तीसगढ़ के लिए निरंतर बनी रही.

म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 74 के प्रावधान अनुसार दिनांक 1-11-2002 से दो वर्ष की अवधि समाप्ति पर अथवा दोनों राज्यों की सहमति से किसी समय छत्तीसगढ़ हेतु अलग संगठन बनाया जा सकता है. अत: राज्य के स्वतंत्र संगठन के लिए अलग से अधिनियम बनाया जाना समझा गया. छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री, अधिकारियों एवं कतिपय अन्य लोक सेवकों के संबंध में म. प्र. के लोकायुक्त संगठन का क्षेत्राधिकार होने से प्रशासनिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम शीघ्र पारित कराना आवश्यक समझा गया.

2. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अत: "छत्तीसगढ़ लोक आयोग अध्यादेश 2002 (वर्ष 2002 का क्रमांक 5)" इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान मण्डल का अधिनियम लाया जाए.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक : 21 सितम्बर, 2002

कृष्ण कुमार गुप्ता
भारसाधक सदस्य

वित्तीय ज्ञापन

छत्तीसगढ़ लोक आयोग विधेयक 2002 में प्रमुख लोकायुक्त/लोकायुक्त एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना की व्यवस्था है जिसमें व्यय संभावित है इसके अतिरिक्त लोक आयोग के कार्यालय हेतु आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय भी संभावित है, जिसके संबंध में वर्तमान में निश्चित अनुमान लगाना संभव नहीं है.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ लोक आयोग विधेयक 2002 के खण्ड 17 में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन की व्यवस्था है जिसके तहत जो नियम निर्मित किए जाएंगे वे सामान्य स्वरूप के होंगे.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2002.